Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding the appointment of candidates selected in All India Banking services.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, हम सब इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं और उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं, जैसे यू.पी.एस.सी., बैंकिंग सर्विसेज आदि के तहत नियुक्तियाँ होती हैं। मैं एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ बच्चे हमसे मिलने के लिए बिहार में आए। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चिंतित भी हुआ, चकित भी हुआ, क्योंकि इस प्रकार की बातें देश में औसतन सुनने को नहीं मिलती हैं। लगभग 40 बच्चों का एक बैच था, जिसमें असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, झारखण्ड, बिहार के बच्चे हैं। कई राज्यों के बच्चे उसमें हैं। जो बैंकिंग की राष्ट्रीय परीक्षा होती है, ये सभी बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी जाँच-पड़ताल हुई और बैंकिंग सर्विसेज बोर्ड ने उन्हें नियुक्ति का पत्र भी दे दिया। नियुक्ति-पत्र देने के बाद नियुक्ति की तिथि भी तय कर दी कि नियुक्ति-पत्र में लिखी तारीख को आकर आप मेघालय ग्रामीण बैंक में ज्वाइन कीजिए। मेघालय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के लिए इन 40 बच्चों को नियुक्ति-पत्र दे दिया। आज पूरा एक साल हो गया है, लेकिन इन सभी बच्चों को, जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं, उनको वहाँ पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन लोगों ने भारत सरकार में मंत्रियों से मिलने का बहुत प्रयास किया, अन्य लोगों से मिलने का प्रयास किया। एक वर्ष बीत गया है और अब अगले वर्ष की भी वैकेंसीज आ गई हैं। अगर किसी राज्य को इस प्रकार की आपत्ति है कि अन्य राज्यों के बच्चों को हम अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे तो फिर उनके नियुक्ति-पत्र में परिवर्तन कराकर उन बच्चों को दूसरे राज्यों में

नौकरी के लिए नियुक्ति-पत्र देना होगा। मैं भी इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहा हूँ। यह सवाल संविधान का है। अगर देश के संविधान में, देश की राष्ट्रीय सेवाओं में उत्तीर्ण होकर, आई.ए.एस. की परीक्षा पास करके बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड का बच्चा तमिलनाडु और केरल में काम करता है, तो आखिर देश की बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज में किसी राज्य में उनकी नियुक्ति पर कैसे रोक लग सकती है? यह एक बड़ा संवैधानिक विषय है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विसेज में जिन बच्चों को मेघालय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति-पत्र जारी करने के बाद रोजगार नहीं मिला है, उन्हें अविलम्ब वहाँ पर ज्वाइन करने की अनुमति दिलवायी जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।